



दिनांक: 24-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस की गौकश बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश घायल/गिरफ्तार

बरामदगी:-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस
- 01 जिंदा गोवंश
- गोकशी के उपकरण
- 01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा गौकशी की घटनाएं रोकने एवं गौकशी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गौकशी करने वाले अपराधियों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 23.08.2023 की रात्रि में थाना प्रभारी बेहट जब पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे तो मुखबिर द्वारा समय लगभग 01.15 बजे पर सूचना प्राप्त हुई कि चिलकाना रोड पर ग्राम कांसेपुर के जंगल में गोकशी की जा रही है। सूचना मिलते ही थाना बेहट पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो 02 बदमाशों ने पुलिस को आता देख पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी। थाना बेहट पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। घायल/गिरफ्तार बदमाश की पहचान कलीम पुत्र नसीम निवासी रेहडी मोहद्वीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर के रूप में हुई है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल/गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है तथा मौके से 01 जिंदा गोवंश, गोकशी के उपकरण एवं घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल/गिरफ्तार बदमाश एक शातिर गोकश व गैंगस्टर अभियुक्त है जिस पर जनपद के विभिन्न थानों पर 08 मुकदमें दर्ज हैं। फरार हुए बदमाश की पहचान की जा रही है। पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने, गौकशी करने एवं अवैध असलाह रखने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 384/23 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्तों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ करने पर अभियुक्त कलीम उपरोक्त ने बताया कि मैं अपने अलग अलग साथियों के साथ आवारा घुमते पशुओं को रात में पकड़कर जंगलों में एकान्त स्थान पर ले जाकर उनका कटान करके, उनका मांस अलग-अलग जगह पर बेच देता हूँ। जिससे हम लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं। आज रात्रि में भी हमने एक गौवंश को पकड़कर जंगल में कटान के लिए लेकर आये थे कि पुलिस ने हमें घेर लिया और हम लोगों ने भागने की फिराक में पुलिस टीम पर गोली चला दी। किन्तु पुलिस टीम ने मुझे पकड़ लिया। अभियुक्त ने बताया कि मेरे ऊपर पहले भी गोकशी के कई मुकदमें थाना बेहट में दर्ज हैं मैं पहले भी थाना बेहट से कई बार जेल जा चुका हूँ। पुलिस से बचने के लिए मैं अपने पास तमंचा रखता हूँ।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. कलीम पुत्र नसीम निवासी रेहडी मोहद्वीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस
- 01 जिंदा गोवंश
- गोकशी के उपकरण
- 01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना बेहट, सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री भारत कुमार थाना बेहट, सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री भुपेन्द्र सिंह थाना बेहट, सहारनपुर
5. है0का0 सुनील राणा थाना बेहट, सहारनपुर
6. है0 का0 अरविन्द कुमार थाना बेहट, सहारनपुर
7. का0 कुलदीप कुमार थाना बेहट, सहारनपुर
8. का0 अंकित धामा थाना बेहट, सहारनपुर

अभियुक्त कलीम का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-154/19 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0-155/19 धारा 307 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0-214/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0-046/22 धारा 3/5 सीएस एक्ट व पशु क्रूरता अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0-058/12 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व पशु क्रूरता अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0-188/12 धारा 3/8 सीएस एक्ट व पशु क्रूरता अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0-227/11 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व पशु क्रूरता अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0-154/19 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 24-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि, दिनांक 19.08.2022 को मा0 न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. के अनुपालन में वादी श्री विजय कुमार पुत्र करतार सिंह नि. ग्राम हलालपुर, थाना तीतरो, जनपद सहारनपुर द्वारा मु.अ.सं. 82/2022 धारा 302, 328 भा.द.वि. बनाम 1.रवि पुत्र मांगेराम नि. ग्राम तबरकपुर, थाना – तीतरो, जनपद – सहारनपुर 2.राहुल पुत्र रामदास 3.जितेन्द्र पुत्र रामदास नि.गण घोघरेकी, थाना – तीतरो, जनपद – सहारनपुर पंजीकृत हुआ था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक तीतरो के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.08.2023 को वांछित अभियुक्त **रवि पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम तबरकपुर थाना तीतरो जिला सहारनपुर** सम्बन्धित मु0अ0सं0 82/2022 धारा 302/328 IPC को इसके मसकन ग्राम तबरकपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को समय से मा0 न्यायालय सहारनपुर महोदय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

रवि पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम तबरकपुर थाना तीतरो जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह थाना – तीतरो, जनपद – सहारनपुर
2. उ.नि. अशोक कुमार यादव थाना – तीतरो, जनपद – सहारनपुर
3. का. 2458 कमल सिंह थाना – तीतरो, जनपद – सहारनपुर
4. का. 2494 देबू गौतम थाना – तीतरो, जनपद – सहारनपुर



दिनांक: 24-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, निशांदाही पर घटना मे प्रयुक्त एक लोहे की राड व एक बड़ा डण्डा व एक छोटा डण्डा बरामद हुआ।

अवगत कराना है कि दिनांक 05.08.23 को वादी श्री ताहिर पुत्र श्री साबिर निवासी मौ0 गाडान कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के परिजनो पर जान से मारने की नियत से लाठी डण्डे सरिये व कुल्हाड़ी से हमला कर गाली गलौच करते हुए मारपीट करने तथा छत से ईंट पत्थर फेंकने जिससे वादी व परिजनो के गंभीर चोटे आने के संबंध में के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 293/23 धारा 147/148/352/504/323/325/336/506/308 भादवि बनाम 1.गय्यूर पुत्र मतलूब 2.मरगूब पुत्र मतलूब 3.शाहनजर पुत्र गय्यूर 4.अजीम उर्फ अजीमुद्दीन पुत्र गय्यूर 5.कसीम पुत्र गय्यूर 6. अबुजर पुत्र मरगूब 7.नौमान पुत्र मतलूब व अन्य अज्ञात नि0गण मौ0 गाडान चौक कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित/वारण्टी अभि0गणो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 24.08.2023 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्तगण- 1.मरगूब अहमद पुत्र मतलूब अहमद 2. गय्यूर अहमद पुत्र मतलूब 3.अजीमुद्दीन उर्फ अजीम पुत्र गय्यूर निवासीगण मौ0 गाडान कस्बा अम्बेहटा पीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया तथा अभि0गण की निशांदाही पर मुकदमा उपरोक्त की घटना मे प्रयुक्त एक लोहे की राड व एक बड़ा डण्डा व एक छोटा डण्डा बरामद हुआ। अभि0गण का पूर्व मे कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभि0गण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि गय्यूर कक्षा 5 तक पढ़ा है, मरगूब अनपढ़ है तथा अजीमुद्दीन कक्षा 10 तक पढ़ा है। दिनांक 31.07.2023 को हमारा व ताहिर पुत्र साबिर निवासी मौ0 गाडान कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर का आपस मे झगड़ा हो गया था। झगड़े मे गलती दूसरे पक्ष की भी थी। अभि0 मरगूब ने बताया कि घटना के समय रोड अजीमुद्दीन के हाथ मे थी तथा बड़ा डण्डा मेरे हाथ मे था और छोटा

डण्डा गय्यूर के हाथ मे था। शाहनजर के हाथ मे जो कुल्हाडी थी वह उसने जोहड मे फेक दी थी । उस समय झगड़े के बाद मे मैने दोनो डण्डे तथा रोड अपने घर के कमरे मे एक कोने मे रख दी थी जो मैने आपको बरामद करा दी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मरगूब अहमद पुत्र मतलूब अहमद निवासी मौ0 गाडान कस्बा अम्बैहटा पीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. गय्यूर अहमद पुत्र मतलूब निवासी मौ0 गाडान कस्बा अम्बैहटा पीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
- 3.अजीमुद्दीन उर्फ अजीम पुत्र गय्यूर निवासी मौ0 गाडान कस्बा अम्बैहटा पीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री राजकुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 558 संदीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 971 राशिद अली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. है0का0 515 राहुल तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
7. का0 2464 आकाश यादव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
8. का0 480 प्रवीण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 24-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में आज दिनांक 24.08.23 को उ०नि० श्री कृष्णवीर सिंह व हे०का० 317 सुनील कुमार के द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **सलेकचन्द पुत्र नेकीराम निवासी ग्राम बलियाखेडी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** सम्बंधित केस नम्बर 2835/1999 अ०सं० 16/96 धारा 279,304ए भादवि थाना को० देहात को वारण्टी अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा० न्या० के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त:-

सलेकचन्द पुत्र नेकीराम निवासी ग्राम बलियाखेडी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

केस नम्बर 2835/1999 अ०सं० 16/96 धारा 279,304ए भादवि थाना को० देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- (1) उ०नि० श्री कृष्णवीर सिंह
- (2) हे०का० 317 सुनील कुमार



प्रेस नोट दिनांक-24.08.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 नशा तस्करों अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक श्री नरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान 02 नशा तस्कर अभियुक्तों 1.वसीम उर्फ कल्लू पुत्र याकूब नि0 मोहल्ला सडकपार कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर व 2.आरिफ पुत्र युसूफ निवासी ग्राम अलीपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को ग्राम हसनपुर नौगावा तिराहे के पास रोक कर तलाशी ली गयी तो अभियुक्तगण वसीम उर्फ कल्लू व आरिफ उपरोक्त के कब्जे से अलग-अलग 250-250 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी। अभियुक्तगण वसीम उर्फ कल्लू व आरिफ उपरोक्त को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए ग्राम हसनपुर नौगावा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 123/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने बताया कि हम मजदूरी करते हैं हमारे परिवार की स्थिति कमजोर है, इसलिए हम लोगो ने पैसे कमाने के लालच में पहली बार विकासनगर से एक अजनबी व्यक्ति से यह चरस खरीदी थी जिसे आज हम अपने यहाँ बेचने जा रहे थे, कि रास्ते में आपने पकड लिये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

- 1.वसीम उर्फ कल्लू पुत्र याकूब नि0 मोहल्ला सडकपार कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर
- 2.आरिफ पुत्र युसूफ निवासी ग्राम अलीपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

250-250 ग्राम अवैध चरस (दोनों अभियुक्तों से बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. प्र0नि0 नरेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. का0 2445 जयकिशन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. का0 2566 राकेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 24-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने वाले 01 अभियुक्त को 32 पच्चे फ्रूटी देशी शराब के साथ किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब का कारोबार करने वाले अपराधियों पर की जा रही लगातार कार्यवाही के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री चन्द्रसैनी सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 24.08.2023 को अवैध शराब का कारोबार करने वाले अभियुक्त **नवल उर्फ नीटू पुत्र धर्मपाल निवासी जाटव नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को नाला पटरी लुहानी सराय के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 32 पच्चे फ्रूटी देशी शराब बरामद की गयी। बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त नीटू उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 239/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पकड़े गये अभियुक्त नवल उर्फ नीटू उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं शराब पीने का आदि हूँ मैं शराब खरीदकर चोरी छिपे अधिक दामों पर भेजकर अपना खर्चा निकाल लेता हूँ। आज जो शराब मुझसे बरामद हुई है मैं उसे बेचने जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नवल उर्फ नीटू पुत्र धर्मपाल निवासी जाटव नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

32 पच्चे फ्रूटी रसभरी देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1772 पवित्र थाना कुतुबशेर सहारनपुर



दिनांक: 24-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा गुमशुदा नालाबिग युवती को किया सकुशल बरामद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपहृत/गुमशुदा व्यक्तियों/बालिकाओं के तलाश हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 231/23 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित गुमशुदा नाबालिग युवती को सकुशल बरामद किया गया । दिनांक 20.08.2023 को वादी द्वारा अपनी नालाबिग लडकी के घर से कहीं चले जाने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर तहरीर दी थी, जिस पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0 231/23 धारा 363 भादवि पंजीकृत करते हुए उपरोक्त गुमशुदा नाबालिग लडकी की तलाश शुरू की तथा थाना कुतुबशेर पुलिस के अथक प्रयासों से आज दिनांक 24.08.2023 को गुमशुदा नाबालिग लडकी को सकुशल बरामद किया गया । बरामदा लडकी के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
2. उ0नि0 दीपक कुमार थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
3. है0का0 478 युसुफ अली थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
4. म0का0 1642 शीतल अटवाल थाना कुतुबशेर, सहारनपुर



दिनांक: 24-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनक्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 24.08.2023 को वारंटी साजिद पुत्र बहार अहमद निवासी एकता कालौनी शकूरी मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0- 738/20, धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट को थाना क्षेत्र कुतुबशेर से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त साजिद उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता –

साजिद पुत्र बहार अहमद निवासी एकता कालौनी शकूरी मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 दीपक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 478 युसुफ अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 24-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 36 बोतल शराब गैर प्रान्त की बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की बरामदगी/अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक व पुलिस क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में उ०नि० श्री प्रमोद गिरि द्वारा मय हमराही फोर्स के दिनांक-24.08.23 को अभियुक्तगण- 1.मौहसीन पुत्र जमील निवासी मौहल्ला कस्साबान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर, 2.दलीप पुत्र बाबूराम निवासी मौहल्ला हजारा कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर, 3.नौशाद पुत्र शाकिर निवासी मौहल्ला कस्साबान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर को रायपुर रोड से 36 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु०अ०सं० – 243/23/2023 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । अभियुक्त गण को समय से मा०न्या० के समक्ष पेश किया जायेगा ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पते:-

1. मौहसीन पुत्र जमील निवासी मौहल्ला कस्साबान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. दलीप पुत्र बाबूराम निवासी मौहल्ला हजारा कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर
3. नौशाद पुत्र शाकिर निवासी मौहल्ला कस्साबान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

तीनों अभियुक्त गणों के कब्जे से कुल 36 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री प्रमोद गिरि, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है०का० 639 मुकेश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
3. है०का० 1050 नितिन कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
4. है०का० 1006 तरूण कुमार थाना सरसावा सहारनपुर

अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण:-

मौहसीन पुत्र जमील उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 0009/2008 धारा 429 IPC थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 0372/2017 धारा 363/366/376 IPC व 3/4 पोक्सो अधिनियम थाना सरसावा जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 0376/2021 धारा 8/15 NDPS ACT थाना सरसावा जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 0016/2023 धारा 63 EX ACT थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

दलीप पुत्र बाबूराम उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 0206/2009 धारा 60 EX ACT थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 0384/2021 धारा 4/25 A ACT थाना सरसावा जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 0385/2021 धारा 63 EX ACT थाना सरसावा जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 0246/2022 धारा 4/25 A ACT थाना सरसावा जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 0041/2023 धारा 63 EX ACT थाना सरसावा जिला सहारनपुर

नौशाद पुत्र शाकिर उपरोक्त:-

निल